

नवदुनिया
(29.05.2015)

बेटी ने छेड़छाड़ की शिकायत की तो दबंगों ने दलित परिवार को गांव से निकाला

**पुलिस ने छेड़छाड़ की
जगह मारपीट का मामला
किया दर्ज**

भिंड (ब्यूरो)। बरासो थाने के अंतर्गत आने वाले गोअरा गांव में दबंगों ने दलित की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। दलित परिवार ने बेटी के साथ हुई घटना की बरासों थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने छेड़छाड़ की जगह मारपीट का मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के बाद परिवार गांव पहुंचा तो दबंगों ने मारपीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। दलित परिवार अब 2 माह से शहर में केंद्रीय विद्यालय के सामने खुले मैदान में तपते आसमान के नीचे रह रहा है।

किसी ने नहीं की मदद

पीड़ित किशोरी के पिता का कहना है कि दबंगों की मारपीट और गांव से बाहर निकलाने के फेरमान के बाद उन्होंने मदद के लिए गांव में कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उल्टे लोगों ने यही सलाह दी कि तुम्हारे और परिवार की सलामती इसी में है कि गांव से चुपचाप निकल जाओ। इसके बाद वे पत्नी और 4 बच्चों के साथ भिंड के केंद्रीय विद्यालय के सामने खुले मैदान में रह रहे हैं।

“मामले की मेहगांव एसडीओपी से जांच करा रहे हैं। रिपोर्ट आने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-नवनीत भसीन, एसपी, भिंड

देशबन्धु
(29.05.2015)

हैंडपंप से पानी लेने पर दलित को जलाया

भोपाल/सागर, देशबन्धु

जिले में हुई एक घटना में एक दलित व्यक्ति को उस समय आग लगा दिया गया जब वह एक हैंडपंप से पानी लेने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी।

घटना 23 मई की बताई जा रही है। राजधानी भोपाल से करीब 160 किमी दूर बेलाई गांव में यह वारदात हुई। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को बुधवार को तब मिली जब घायल व्यक्ति को सागर जिले के एक अस्पताल में भेजा गया। कुछ दिन पहले ही राज्य के दामोह जिले में अगड़ी जाति के कुछ लोगों ने एक दलित दूल्हे पर हमला किया था। पीड़ित दूल्हा शादी में दुल्हन के घर जाते समय घोड़े पर बैठा था। इसी

बात पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। बीना पुलिस थाने के प्रभारी अनिल गुप्ता ने कहा कि स्पष्ट/स्ख ऐक्ट के तहत आरोपी रामसहाय रिचारिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अभियुक्त फरार बताया जा रहा है। 31 वर्षीय पीड़ित सम्राट अहीरवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी रिचारिया ने उसे एक सरकारी हैंडपंप से पानी लेने से रोका। आरोपी का कहना था कि वह अहीरवार से पहले पानी लेगा। पीड़ित के मुताबिक जब उसने इस बात का विरोध किया तब आरोपी ने उसे गाली दी और पीटा। बाद में जब पीड़ित आरोपी के घर के पास से गुजर रहा था तब आरोपी ने एक जलता हुआ केरोसिन लैंप उसकी ओर फेंका। लैंप से पीड़ित के शरीर का निचला हिस्सा जल गया।